आरक्षी नागरिक पुलिस हेतु नियमावली एवं पाठ्यक्रम

सामान्य निर्देश

1. उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2008 यथा संशोधित 2009 के नियम 18 के अंतर्गत प्रत्येक रिक्रूटों को नियुक्ति अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी होने के एक माह के भीतर ड्यूटी / प्रशिक्षण हेतु योगदान देना अनिवार्य है जिसमें विफल होने पर चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी।
2. उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2008 यथा संशोधित 2009 के नियम 19 के अनुसार प्रशिक्षण के निम्नलिखित प्राविधान हैं:–

   ''परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।''

प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0

रिक्रूट आरक्षियों की भर्ती के पश्चात् विभिन्न जनपदों की पुलिस लाइन में उन्हें कुछ समय के लिए (एक माह से अनधिक) प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। सम्बन्धित जिलों के पुलिस अधीक्षक रिक्रूटों के आगमन पर निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेगें:–

1. रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के पूर्व ही पुलिस लाइन में एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक सुयोग्य पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो रिक्रूटों के आगमन पर उनका उचित मार्ग दर्शन करेगा।
2. आगमन के समय ही भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक रिक्रूट से रू0 2000/–मेस एडवान्स जमा कराया जायेगा। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रभारी द्वारा प्रत्येक रिक्रूट आरक्षी को प्रदान की जायेगी तथा गहन प्रशिक्षण में भेजे जाते समय कटिंग काट कर शेष धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
3. समस्त रिक्रूट आरक्षियों की अगले दिन एक जीरो परेड करायी जायेगी जिसमें उन्हें जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों एवम् आवासों के बारे में जानकारी करायी जायेगी।
4. सम्बन्धित लियन जनपद ही रिक्रूटों को नयी वर्दी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि में रिक्रूटों को विशेष रूप से वर्दी का रख–रखाव तथा उसका पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ों में अध्किारियों का अभिवादन करना, सावधान एवम् विश्राम बनाना, जनपद स्तर पर नियुक्त विभिन्न पद के पुलिस अधिकारियों के पद चिन्हों का ज्ञान, परेड ग्राउण्ड, गणना स्थल, भोजनालय एवम् बैरक आवास के अनुशासन का ज्ञान कराया जायेगा।
6. प्रारम्भिक प्रशिक्षण के उपरान्त एवम् गहन प्रशिक्षण हेतु भेजने से पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रिक्रूटों को दिये गये प्रारम्भिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया जायेगा एवं चरित्र पंजिका तैयार करा ली जायेगी।
7. पुलिस अधीक्षक प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराकर रिक्रूटस आरक्षियों के साथ ही सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को भेजेंगे।
8. **नाप तौलः** रिक्रूट आरक्षियों की वर्दी का निरीक्षण एवं नाप तौल किसी सक्षम अधिकारी (निरीक्षक या उससे उच्च पद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) गहन प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान/रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र)

यहाँ संस्था प्रमुख का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी अथवा जनपद में नियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं पीएसी वाहिनियों में नियुक्त सेनानायक से है।

रिक्रूटों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण के पश्चात् निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर 9 माह के गहन प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। प्रथम चरण–तीन माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरान्त 7 दिवस का सामूहिक अवकाश (रविवार से शनिवार तक) अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। पासिंग आउट परेड के बाद 7 दिन का अवकाश दिया जायेगा। इसे आकस्मिक अवकाश माना जायेगा।

1. स्वागत

रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के पूर्व ही प्रशिक्षण केन्द्र में एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी जिसमें एक सुयोग्य 'पुलिसकर्मी' नियुक्त किया जायेगा जो रिक्रूटों के आगमन के समय उनके लिए निर्धारित आवास भोजनालय, कैन्टीन, स्नानागार, शौचालय, मनोरंजनगृह, पुस्तकालय एवम् वाचनालय, परेड ग्राउण्ड, अधिकारियों के कार्यालय एवम् आवास, चिकित्सालय एवं विद्यालय की जानकारी प्रदान करेगा।

2. नाप तौल

रिक्रूट आरक्षियों की वर्दी का निरीक्षण एवं नाप तौल किसी सक्षम अधिकारी (निरीक्षक या उससे उच्च पद) द्वारा किया जायेगा। यदि किसी रिक्रूट की वर्दी कम या बदलने योग्य पाई जाये तो उसके लियन जनपद के पुलिस अधीक्षक से पत्राचार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई रिक्रूट नाप तौल में कम पाया जाता है तो उसके सम्बन्ध में प्रशिक्षण निदेशालय को तत्काल अवगत कराया जायेगा।

3. प्रगति पत्र

प्रशिक्षण संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिक्रूटों के प्रगति पत्रों का भलीभांति अवलोकन किया जायेगा। यदि किसी प्रगति पत्र में कोई त्रुटि या कमी है तो सम्बन्धित जनपद प्रभारी अर्थात् पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से पत्राचार करके उसका निवारण कराया जायेगा।

4. आवास

समस्त रिक्रूट आरक्षियों के लिए बैरक आवास उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी हेतु बल्ब, ट्यूब लाइट, पंखे तथा पलंग/तख्त की व्यवस्था की जायेगी। किसी रिक्रूट को निर्धारित बैरक आवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी। आवास के अन्दर गैस/इलेक्ट्रिक/तेल स्टोव, हीटर, रेडियो, टेप अथवा प्रतिबन्धित उपकरण का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। बैरक के बाहर निकलते समय बैरक के बिजली एवं पंखे बन्द कर दिये जायेंगे।

5. भोजन व्यवस्था

समस्त रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण संस्था के अन्दर रिक्रूटों के लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना होगा। किसी भी दशा में अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भोजन व्यवस्था के लिए आगमन के समय ही मेस एडवांस के रूप मे 2000/—धनराशि रिक्रूट्स से जमा करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रभारी द्वारा प्रत्येक रिक्रूट आरक्षी को प्रदान की जायेगी तथा दीक्षान्त समारोह के उपरान्त कटिंग काट कर शेष धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जायेगी।

भोजन करते समय भोजनालय में लुंगी, गमछा, आदि नहीं पहना जायेगा। भोजन, भोजनालय में निर्धारित स्थान पर बैठकर किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर बैरक में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

आर0टी0सी0 संस्था प्रमुख संस्था कटिंग के रूप में मैस रिजर्व, हॉस्टल मेन्टीनेन्स फण्ड, मनोरंजन फण्ड, नाई, धोबी, एवं सफाई कर्मी आदि की स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्धता एवं दरों के आधार पर उचित कटौती करेगें। परन्तु यह कटौती किसी भी दशा में 700/—रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी आर0टी0सी0 से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रशिक्षण निदेशालय पुलिस मुख्यालय के माध्यम से ऑडिट करायेगा।

दिवसाधिकारी—प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रतिदिन एक बाह्य विषय का प्रशिक्षक दिवसाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जिसका कर्तव्य होगा कि वह रिक्रूट आरक्षियों से भोजन के समय भोजन व्यवस्था में दिये गये निर्देशों का पालन कराये तथा विद्यालय के समय रिक्रूट आरक्षियों को एकत्रित कर गणना उपरान्त उपनिरीक्षक अध्यापक को सुपुर्द करे।

6. विद्यालय

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अंकित दैनिक समय सारिणी के अनुसार अन्तः एवं वाह्य विषय का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

7. पुस्तकालय एवं वाचनालय

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाओं की व्यवस्था होगी।

8. मॉडल पुलिस स्टेशन

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जायेगा जिसमें पुलिस थाने में प्रयोग में आने वाले सभी रजिस्टर एवं फार्म तथा अन्य विवरण अभिलेख एवं उपकरण रखे जायेंगे।

9. मनोरंजन

रिक्रूटों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन गृह में एक टेलीविजन की व्यवस्था होगी। यदि प्रशिक्षण संस्थान में सिनेमाघर उपलब्ध है तो रिक्रूटों को अलग से सप्ताह में एक दिन फिल्म दिखाई जायेगी।

10. सूचना पट्ट

प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था में रिक्रूटों के आवास के निकट एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी जिसमें रिक्रूटों से संबंधित सूचनायें तथा आवश्यक आदेश–निर्देश सूचना पट्ट पर चस्पा किये जायेंगे।

11. सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका

प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था में रिक्रूटों के आवास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

12. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह संस्था प्रभारी द्वारा मासिक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा जिसमें रिक्रूट्स आरक्षियों के कल्याण संबंधी वार्ता होगी एवं रिक्रूट्स से इनके संबंध में सुझाव/शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

13. परिधान

प्रत्येक रिक्रूट को मौसम के अनुसार परेड एवं विद्यालय मे निर्धारित वर्दी पहननी होगी।

14. खेलकूद

प्रत्येक रिक्रूट आरक्षी को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेलकूद के लिए बॉलीबाल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती तथा तैराकी आदि हेतु व्यवस्था करेंगे।

15. कैन्टीन

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक कैन्टीन की व्यवस्था होगी जिसमें खाने पीने एवं दैनिक उपयोग की वस्तुयें बाजार से निर्धरित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। कैन्टीन में वस्तुओं के मूल्य की सूची लगायी जायेगी।

16. चिकित्सा सुविधा

समस्त रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण संस्था में स्थित चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। विशेष दशा में चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर अन्यत्रा उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं जिस आर0टी0सी0 से चिकित्सालय काफी दूर स्थित होगा वहाँ पर रिक्रूट्स के उपचार हेतु संस्था प्रभारी संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके उपचार की व्यवस्था करायेंगे।

17. अवकाश

अ) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रभारी द्वारा अधिकतम 3 दिवस का आकस्मिक अवकाश एक बार में स्वीकृत किया जा सकेगा।

ब) चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये विश्राम अवकाश को देय अवकाश में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

स) यदि कोई रिक्रूट प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से गायब होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा एवं झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा तो ऐसे रिक्रूट आरक्षी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

द) पूरे प्रशिक्षण काल में 30 दिवस से अधिक किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षार्थी को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसे रिक्रूट प्रशिक्षणार्थी को अनुत्तीर्ण रिक्रूटों के लिए तीन माह के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अपरान्त आयोजित पूरक परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। किसी भी कारण से यदि प्रशिक्षण से अनुपस्थित अवधि 45 दिन या उससे अधिक होती है तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उसे जाँचोपरान्त नियुक्ति जनपद को वापस कर देंगे जिसे अगले प्रशिक्षण सत्र में शामिल किया जायेगा।

य) अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले रिक्रूट आरक्षियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। यदि कोई रिक्रूट आरक्षी पूरक परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे नियुक्ति जनपद को वापस कर दिया जायेगा और नियुक्ति जनपद के अधिकारी द्वारा पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 541 और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2009 के संबंध में परिवीक्षा सम्बन्धी नियम 20 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

18. श्रमदान, साज सज्जा एवं वृक्षारोपण

रिक्रूट प्रशिक्षणार्थी से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार को पूर्वान्ह में ही कराया जा सकेगा जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, बैरक, एरिया क्वार्टर गार्द, गार्डेन की सफाई व रख–रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों में वाह्य एवं अंतः विषयों के कालाशों में कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण किसी भी दशा में नहीं कराया जायेगा।

19. परीक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस आधरभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अर्न्तगत दर्शाये गये परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति पर अनुत्तीर्ण होने पर 03 माह का पूरक प्रशिक्षण कराया जायेगा। नकल करते हुये पकड़ा जाना एक गम्भीर दुराचरण है। नकल करते हुये पकड़े जाने पर जाँच के उपरान्त अन्य समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही जो अनुशासनिक अधिकारी उचित समझे के अलावा 03 माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण पर भी विचार किया जायेगा।

20. पुरस्कार

प्रशिक्षण की समाप्ति पर अंतः विषयों एवं वाह्य विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तथा प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी द्वारा प्रदत्त अंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रिक्रूटों को पुरस्कृत किया जायेगा। आन्तरिक विषयों एवं वाह्य विषयों के प्राप्तांकों के योग में प्रथम और सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी को भी पुरस्कृत किया जायेगा। प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उप निरीक्षक अध्यापक, आई.टी.आई./पी.टी.आई. को भी संस्था के प्रभारी द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।

21. पर्यवेक्षण

रिक्रूटों को प्रशिक्षण, कार्यक्रमों में संलग्न पाठयक्रम के अनुसार संस्था प्रभारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक आर0टी0सी0 का संस्था प्रमुख द्वारा चयनित एक राजपत्रित अधिकारी प्रभारी होगा। प्रत्येक सप्ताह में एक पीरियड ट्यूटोरियल होगा। 40–50 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न टोलियों से लेकर एक क्लास बनाई जायेगी। एक क्लास टीचर नियुक्त होगा जो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का ट्यूटोरियल लेगा और प्रशिक्षणार्थी की प्रगति से संस्था प्रभारी को अवगत करायेगा। प्रत्येक माह के अन्त में हर विषय से सम्बन्धित एक केस स्टडी को जिसको विषय प्रभारी द्वारा विधिवत् रिक्रूटों को समझाया जायेगा। आन्तरिक विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु पुलिस निरीक्षक एवं उ0नि0 (अध्यापक) उत्तरदायी होंगे तथा वाह्य विषयों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु आर.आई. उत्तरदायी होंगे।

22. आन्तरिक विषय के प्रशिक्षकों के लिए निर्देश

1. संस्था प्रमुख प्रत्येक 15 दिवस का पाठ्यक्रम तैयार कराकर जारी करायेंगे।
2. अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय पढ़ें और समझें।
3. सभी विषयों को अलग–अलग कालांश में विभाजित करें।
4. प्रत्येक कालांश के लिये उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। प्रशिक्षक अपने व्यवहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश (मिश्रण) भी करें।
5. व्याख्यान की योजना व प्रस्तुति का तरीका तैयार करें।
6. पाठ के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की व्याख्या करें।

7. विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं Powerpoint के माध्यम से प्रस्तुत करें।

8. प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, बीट सुरक्षा ड्यूटी, घटनास्थल निरीक्षण आदि कराने से पूर्व मौलिक सिद्धान्त समझायें।

9. ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें जिसके उत्तर में पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों।

10. प्रत्येक विषय की पाठ्य सामग्री हेतु प्रशिक्षणार्थी का मार्गदर्शन करें।

11. सही वर्दीधारण करें जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख–रखाव भी साफ–सुथरा हो।

12. प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहों को दूर करें।

13. कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें।

23. वाह्य विषयों के प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः

1. सही वर्दी धारण करें जिससे फुर्तीलापन (स्मार्टनेस) प्रदर्शित हो सके एवं उसका रख–रखाव साफ–सुथरा हो।
2. पाठ्यक्रम को पढ़े तथा उसे निर्धारित अवधि में मोटे तौर पर विभाजित करें।
3. पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांशों) में विभाजित करें।
4. विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।
5. अपनी व्यक्तिगत Body movements द्वारा नमूना दें।
6. विभिन्न्न हरकतों को एक–एक करके प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।

7. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों को सही करें। अनावश्यक टीका–टिप्पणी न करें जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में प्रशिक्षित करें।
8. किसी प्रशिक्षणार्थी को खराब हरकत करने की अनुमति कभी भी न दें।
9. वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।
10. शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हो।
11. खेल, तैराकी, एथलेटिक व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।
12. प्रशिक्षणार्थियो की रूचि के अनुसार जूडो/कुश्ती/बाक्सिंग/कराटे आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।
13. वाह्य विषयों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु आर.आई. उत्तरदायी होंगे।

24. नियमावली में संशोधन

उपरोक्त नियमों में से किसी नियम को समाप्त करने, प्रख्यात करने अथवा संशोधन का अधिकार पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के विवेकाधीन होगा।